न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :– 44 / 2017
रज्जू दिनांक 12–04–2017

पीठासीन अधिकारी
श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

1. डालूराम } पि0 छाजूलाल
2. जगदीश (फौत) }
   2/1 गीता बेवा जगदीश
   2/2 गजेन्द्र पुत्र जगदीश
   } जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

2/3 गायत्री पुत्री जगदीश पत्नी सुरेश जाति ब्राह्मण निवासी रेलवे स्टेशन के पास दौसा जिला दौसा राज0

2/4 शान्ति पुत्री जगदीश पत्नी श्यामलाल जाति ब्राह्मण निवासी हट्टीका कॉलोनी कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

2/5 कृष्णा पुत्री जगदीश पत्नी मिथलेश जाति ब्राह्मण निवासी रेलवे स्टेशन के पास दौसा जिला दौसा राज0

2/6 रानी पुत्री जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी किशनपुरा एन.बी.सी. बेरिंग फैक्टी के पास जयपुर जिला जयपुर राज0

3. हरिशंकर } पि0 छाजूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदसैन
4. राधेश्याम } तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादीगण)

बनाम्

1. मीठालाल पुत्र नाथूलाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती अ0 धारा 136 एल.आर.एक्ट

एवं उद्घोषणा अ0 धारा 88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक : 27-01-2021

उपस्थित :– वादी संख्या 1, 3, 4 की ओर से श्री राकेश कुमार शर्मा एडवोकेट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज0

वादी संख्या 2/1 लगायत 2/6 की ओर से श्री रामकेश सैनी एडवोकेट
अप्रार्थी 1 की ओर श्री संजीव जोशी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 की आरे से पैरोकार सरकार

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पुर्वजो की आराजी कृषि भूमि वर्तमान में आराजी खसरा नं0 9 पुराना नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, वर्तमान खसरा नं0 16 पुराना नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। उक्त आराजीयात कृषि भूमि की विभाजित कृषि भूमि है तथा वादीगण का सजरा खानदान निम्नांनुसार है:–

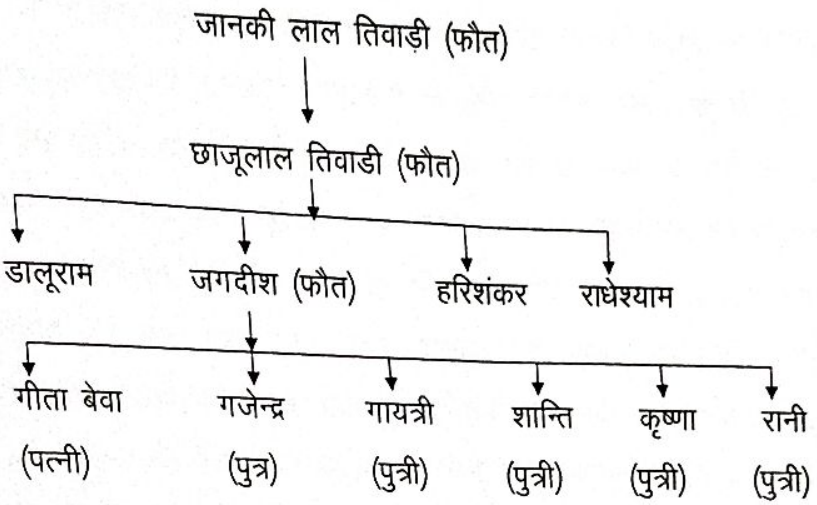

तथा सजरा खानदान के अनुसार आराजी खसरा नं0 9 पुराना नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान में खसरा नम्बर 16 पुराना नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा की खातेदारी सम्वत 1925 से लेकर एकीकरण होने से पूर्व अर्थात सम्वत 2018 से 2020 तक वादीगण के पिता ही टीनेन्ट व कब्जे काश्त थे। वादग्रस्त आराजी वादीगण की पैत्रृक सम्पत्ति थी उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्वत 1925 से लेकर एकीकरण होने से पूर्व अर्थात सम्वत 2018 से 2020 तक उक्त वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि वर्तमान मे आराजी खसरा नं0 9 पुराना नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान मे खसरा नं0 16 पुराना नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा वादीगण के स्वर्गीय पिता छाजूलाल पुत्र जानकी लाल के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी तथा समय समय वादीगण के पुर्वजो द्वारा राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

अभिलेख के अनुसार खातेदार काबिज होकर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे थे तथा वादग्रस्त आराजी का उपयोग उपभोग कर निरन्तर लाभान्वित होते चले आ रहे है। सम्वत 2018 अर्थात एकीकरण होने से पूर्व उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के स्वर्गीय पिता छाजूलाल पुत्र जानकीलाल के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज थी लेकिन एकीकरण होने के पश्चात अर्थात सम्वत 2018 के पश्चात भू प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा खसरा नं0 11 के स्थान पर वर्तमान खसरा नम्बर 16 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा अंकित कर दिया तथा साथ ही राजस्व अभिलेख में छाजूलाल पुत्र जानकीलाल के स्थान पर वादग्रस्त आराजी भूमि को चरागाह में दर्ज कर दिया गया ठीक इसी प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्वत 2018 अर्थात एकीकरण होने से पूर्व जो खसरा नं0 16 थे उसका एकीकरण होने के पश्चात अर्थात सम्वत 2018 के पश्चात भू प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा खसरा नम्बर 16 के स्थान पर खसरा नं0 9 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के रूप में अमल दरामद कर अंकित किया गया साथ ही छाजूलाल वल्द जानकीलाल के स्थान पर राजस्व अभिलेख मे फेरबदल कर उसके स्थान पर मीठालाल पुत्र नाथूलाल ब्रह्मण (प्रतिवादी संख्या 1) कर दिया गया उक्त वर्णित दोनो खातेदारी इन्द्राज कार्यवाही सेटलमेन्ट अधिकारियो से हितबद्व व्यक्तियो ने साज कर अथवा सैटलमेन्ट अधिकारीयो की गलती से रद्द्वोबदल किये गये जिनका सैटलमेन्ट अधिकारीयो को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त नही था क्योकि उक्त की गई कार्यवाही एबइनिशियो नल एण्ड वॉइड है तथा वादीगण के राजस्व अभिलेख में दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादीगण के पिता स्वर्गीय छाजूलाल अर्सो पूर्व से कमाने खाने के लिए अपने परिवार सहित परदेश में रिहायश कर रहे थे तथा अपनी खातेदारी की आराजी को समय समय पर अन्य व्यक्तियो को काश्त के लिए बता दिया करता था एवं समय समय पर आकर आराजी भूमि की सार सम्भाल किया करते थे। वादीगण के पिता का देहान्त हो गया और वादीगण को अपनी पैत्रृक सम्पत्ति की कोई जानकारी नही थी जिसका नाजायज रूप से फायदा एकीकरण के समय प्रतिवादीगण द्वारा स्वयं के नाम इन्द्राज करवा कर उठाया गया दिनांक 29–09–2016 को जब वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी की सीमाज्ञान करवाने हेतू हल्का पटवारी से मिले तो हल्का पटवारी ने वर्तमान राजस्व अभिलेख देखकर बताया की उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी आपके नाम नही होकर चरागाह एवं मीठालाल (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम से राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०

अभिलेख में दर्ज है यह कहकर सीमाज्ञान करने से साफ इंकार कर दिया इस बात को सुनकर वादीगण हतप्रभ रह गये तथा वादीगण के पैरो के नीचे जमीन खिसक गयी एवं अविलम्ब ही तुरन्त प्रभाव से उक्त आराजीयात से सम्बन्धित पुराना रिकार्ड निकालवाया जाकर वादपत्र प्रस्तुत किया। वादीगण का वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा गया कि आराजी वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान खसरा नं0 9 पुराना नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा मीठालाल पुत्र नाथूलाल जाति ब्राह्मण (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम से इन्द्राज तथा वर्तमान मे खसरा नं0 16 पुराना नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा चरागाह के नाम से इन्द्राज वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा के स्थान पर राजस्व रिकार्ड के अवैध व गैरकानूनी इन्दाज को दुरूस्त कर वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख मे दर्ज कर बराबर बराबर हिस्सा अंकित किया जावें तथा खसरा नं0 9 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा व खसरा नं0 16 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा का वादीगण को खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया गया व तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई जिस पर प्रतिवादीगण की बाद तामील प्राप्त हुयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव जोशी ने उपस्थित होकर जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया व प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से पैराकर उपस्थित। न्यायहित मे तहसीलदार लालसोट से वादग्रस्त आराजी के सन्दर्भ में विस्तृत रूप से तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट बिन्दुवार ली जाने हेतू लिखा गया जिस पर तहसीलदार लालसोट द्वारा कमांक/राजस्व/2017/884 दिनांक 05–10–2017 को अपनी जांच रिपोर्ट बिन्दुवार प्रस्तुत कि जो सामिल पत्रावली की गई। तथा दौरान विचारण प्रकरण वादी संख्या 2 जगदीश मृतक का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किया उभयपक्षो को सुना जाकर प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार किया तथा संशोधित उनवान प्रस्तुत होने पर मृतक जगदीश वादी संख्या 2 के वारिसानो की और से अधिवक्ता श्री रामकेश सैनी ने वकालतनामा प्रस्तुत किया प्रकरण इन्द्राज दुरूस्ती के सम्बन्धित होने के कारण उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की सहमति से पत्रावली अंतिम बहस पर नियत की गई।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। वाद इन्द्राज दुरूस्ती एवं उद्घोषणा में विवादित आराजी खसरा नं0 9 पुराना नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा वर्तमान

उपखण्ड अधिकारी

मे खसरा नं0 16 पुराना नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम शालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा में सम्वत 1926 से लेकर एकीकरण होने से पूर्व अर्थात सम्वत 2018 से 2020 तक वादीगण के पिता स्व. छाजूलाल पुत्र जानकी लाल के नाम की ही खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि रही है। वादग्रस्त आराजी सम्वत 2018 अर्थात एकीकरण होने से पूर्व वादीगण के स्वर्गीय पिता छाजूलाल पुत्र जानकी लाल के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज थी जिसके खसरा नं0 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नं0 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा मुताबिक सलंग्न मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 11 के बजाय 16 व 16 के बजाय नवीन खसरा नं0 9 बन गये एकीकरण जमाबन्दी मे वादीगण की खातेदारी भूमि वर्तमान मे खसरा नं0 16 को चरागाह एकीकरण होने के पश्चात अर्थात सम्वत 2018 के पश्चात भू प्रबन्ध एवं राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा खसरा नं0 11 के स्थान पर वर्तमान खसरा नं0 16 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा कर दिया गय लेकिन साथ ही राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज छाजूलाल पुत्र जानकी लाल के स्थान पर चरागाह दर्ज करदी गई इसी प्रकार वादग्रस्त आराजी के सम्वत 2018 अर्थात एकीकरण के पूर्व जो खसरा नं0 16 थे उसका एकीकरण होने के पश्चात अर्थात 2018 के पश्चात भू प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा खसरा नं0 16 के स्थान पर खसरा नं0 9 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा के रूप में अमल दरामद कर अंकित किया गया लेकिन साथ ही इन्द्राज छाजूलाल वल्द जानकी लाल के स्थान पर मीठालाल पुत्र नाथूलाल जाति ब्राह्मण (प्रतिवादी संख्या 1) कर दिया गया उक्त वर्णित दोनो खातेदारी इन्द्राज कार्यवाही सैटलमेन्ट अधिकारीयो द्वारा रद्दबदल की गई है सैटलमेन्ट अधिकारीयो व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा किस कानूनी प्रावधान अनुसार उक्त अमल दरामद किया गया है जबकि उन्हे इस प्रकार की कार्यवाही करने का कोई अधिकार ही नही था। भू राजस्व की धारा 136 के सन्दर्भ में राजस्थन सरकार द्वारा जारी परिपत्र 6(12)राज/6/92/26 दिनांक 20–12–1995 द्वारा (द्वितिय संशोधन) विधेयक 1995 द्वारा भी प्रतिपादित किया है कि भू प्रबन्ध के दौरान यदि बिना किसी सक्षम अदालत के आदेश के किसी की खातेदारी अथवा गैर खातेदारी की कृषि भूमि को चारागाह/सिवाय चक/राजकीय भूमि दर्ज कर दिया गया है तो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा ठीक किया जा सकेगा या ठीक करवाया जा सकेगा।

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)

खसरा नं0 16 में जो भूमि वादीगण की चरागाह मे दर्ज है उसे दुरुस्त किया जाकर वादीगण के नाम राजस्व अभिलेख मे अंकित किया जाकर उद्घोषित फरमाया जावे साथ ही प्रतिवादीगण ने अपने जवाब दावा प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि वर्तमान मे आराजी खसरा नं0 9 पुराना नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 मीठालाल पुत्र नाथूलाल जाति ब्राह्मण है तथा अन्य वर्तमान खसरा नम्बर 16 पुराना नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नही है तथा प्रतिवादी की ओर से सहमति जाहिर की गई कि वर्तमान खसरा नं0 16 पुराना नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा में दर्ज चरागाह को विलोपित कर उसके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज कर उद्घोषित कर दिया जावे तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र 6(12)राज/6/92/26 राजस्थान भू राजस्व (द्वितिय संशोधन) विधेयक 1995 का ध्यान पूर्वक मनन व अवलोकन किया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नं0 16 पुराना नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा व खसरा नम्बर 9 पुराना नम्बर 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा की खातेदारी सम्वत 1925 से लेकर एकीकरण होने से पूर्व अर्थात सम्वत 2018 से 2020 तक वादीगण के पिता स्व. पिता छाजूलाल पुत्र जानकी लाल की खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि रही है उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि वादीगण की पैत्रृक कृषि भूमि रही है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व कर्मचारीयो के द्वारा खसरा नं0 11 के स्थान पर वर्तमान खसरा नं0 16 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 को चरागाह मे दर्ज कर दिया भू प्रबन्ध विभाग व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा अवैध एवं इनलिगल कार्यवाही की गई है खातेदारी की भूमि को चरागाह भूमि मे दर्ज नही किया जा सकता तथा साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने जवाब दावे में अकित किया है कि वर्तमान खसरा नं0 16 पुराना खसरा नं0 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सरोकार वास्ता नही है। तथा शेष रकबा खसरा नं0 9 पुराना खसरा नं0 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

खातेदारी दर्ज है उभयपक्षो ने सहमति जाहिर की खसरा नं0 9 पुराना खसरा नं0 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 को यथावत बनाये रखने तथा खसरा नम्बर 16 पुराना खसरा नम्बर 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 के राजस्व अभिलेख में तहसीलदार लालसोट ने भी अपनी रिपोर्ट में भी यह अकंन किया है कि विवादग्रस्त आराजी को दोनो खातेदारी इन्द्राज कार्यवाही सैटलमेन्ट अधिकारीयों द्वारा रद्दोबदल की गई है। सैटलमेन्ट अधिकारीयो व राजस्व कर्मचारीयो द्वारा किस कानूनी प्रावधान अनुसार उक्त अमल दरामद किया गया है, इस प्रकार खसरा नं0 16 चरागाह में दर्ज किया गया है जिसे राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र 6(12)राज/6/92/26 राजस्थान भू राजस्व (द्वितिय संशोधन) विधेयक 1995 अनुसार धारा 136 के अनुसार शुद्वि योग्य है। दर्ज चरागाह को विलोपित कर उसके स्थान पर वादीगण का नाम अंकित कर वादीगण को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 16 पुराना खसरा नं0 11 रकबा 8 बीघा 9 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम सालगरामपुरा चक नं0 2 ग्राम पंचायत चांदसैन पटवार हल्का चांदसैन तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है जिसमे राजस्व अभिलेख में चरागाह दर्ज है। चरागाह अंकन को विलोपित कर उसके स्थान पर वादीगण का नाम दुरूस्त किया जाकर वादीगण को बराबर बराबर हिस्से का खातेदार काबिज काश्तकार उद्घोषित किया जाता है तथा वर्तमान खसरा नं0 9 पुराना खसरा नं0 16 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा का खातेदार काबिज काश्तकार प्रतिवादी संख्या 1 को यथावत रखा जाता है। राजस्व अभिलेख मे अमल दरामद करने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेशित किया जावें। तद्नुसार पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27/01/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गोपाल जांगिड़)

उपखण्ड अधिकारी लालसोट

लालसोट जिला दौसा (राज०